भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 437
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: महाराष्ट्र में पीएम-किसान योजना

437. श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के आरंभ से महाराष्ट्र में अब तक पंजीकृत कुल भूमिधारक किसान परिवारों की संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में पात्र किसानों को योजना की शुरुआत से अब तक वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सुनिश्चित करने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए डिजिटल अवसंरचना और आधार सीडिंग की प्रक्रिया लागू की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में किसानों को पीएम-किसान की किश्तें मिलने में कोई देरी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) महाराष्ट्र में सत्यापित, लंबित और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या सहित लाभार्थियों का जिलावार आंकड़ा क्या है;

(च) पीएम-किसान के अंतर्गत अपवर्जन मानदंडों का ब्यौरा और इन प्रावधानों के आधार पर महाराष्ट्र में बहिष्कृत किसानों की संख्या क्या है; और

(छ) विशेष रूप से दूरदराज़ क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों के लिए महाराष्ट्र में पीएम-किसान योजना के तहत डिजिटल निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए भविष्य की रूपरेखा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारक होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आय वर्ग से संबंधित कुछ अपवादों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिये की भागीदारी के देश भर के सभी पात्र किसानों तक पहुँच सके। महाराष्ट्र राज्य में, सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का उपयोग कर आधार मोड के माध्यम से किए जाते हैं। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना के प्रारंभ से अब तक 19 किस्तों में किसानों को रुपये 3.69 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है। महाराष्ट्र राज्य के लाभार्थियों और उन्हें जारी की गई राशि का किस्तवार विवरण अनुबंध-1 पर दिया गया है।

(घ) से (छ): इस योजना में किसानों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। किसान पीएम-किसान पोर्टल, पीएम-किसान ऐप और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे सभी आवेदनों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उचित सत्यापन के बाद अनुमोदित किया जाता है। जिन मामलों में आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज़/विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, उन मामलों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, विभाग द्वारा तुरंत लाभ की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है और अगली किस्त में राशि जारी कर दी जाती है।

योजना का लाभ पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है। किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के लिए, पीएफएमएस (PFMS), यूआईडीएआई (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए। इसके अतिरिक्त, भूमि सीडिंग के साथ-साथ आधार आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया। जिन किसानों ने ये अनिवार्य मानदंड पूरे नहीं किए, उनका लाभ रोक दिया गया। जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें योजना का लाभ उनकी देय किस्तों, यदि कोई हो, के साथ प्रदान किया जाता है।

19वीं किस्त के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों का जिलावार डेटा अनुबंध-2 पर दिया गया है।

पीएम-किसान योजना के अंतर्गत बहिष्करण मानदंडों का विवरण निम्नलिखित है:-

(1) सभी संस्थागत भूमि धारक; और
(2) किसान परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं:

i) संवैधानिक पदों के पूर्व एवं वर्तमान पद धारक
ii) पूर्व एवं वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष।
iii) केंद्र/राज्य सरकार मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह घ कर्मचारियों को छोड़कर)
iv) सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह घ कर्मचारियों को छोड़कर)
v) आयकर दाता ।
vi) डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो व्यावसायिक निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रैक्टिस करके अपना पेशा चला रहे हैं।

(3) पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे नए लाभार्थियों के मामले में, सभी भूमि धारक किसान परिवार जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ से बाहर रखा जाएगा।

पीएम-किसान पोर्टल पर एक समर्पित 'किसान कॉर्नर' उपलब्ध कराया गया है जहाँ किसानों को अपनी लाभार्थी स्थिति और किस्त भुगतान विवरण देखने सहित कई सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। पोर्टल पर किसानों के लिए अपनी पात्रता और भुगतान स्थिति जानने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा, 'नो योर स्टेटस' (अपनी स्थिति जानें) भी उपलब्ध है। किसान अपने स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जा सकते हैं जहाँ वे अपनी लाभार्थी स्थिति और किस्त भुगतान विवरण की जाँच कर सकते हैं।

पीएम-किसान योजना में धनराशि नहीं मिलने से संबंधित समस्याओं सहित किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र है। किसानों की शिकायतों के लिए पीएम-किसान पोर्टल पर एक समर्पित शिकायत मॉड्यूल उपलब्ध है। पीएम-किसान शिकायत मॉड्यूल के अतिरिक्त, किसान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों का राज्य/ज़िला स्तर के अधिकारियों द्वारा समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, योजना के लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, लाभार्थियों द्वारा उठाए गए सामान्य प्रश्नों और शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए, एक वॉइस-आधारित पीएम-किसान एआई चैटबॉट (किसान ई-मित्र) विकसित किया गया है। यह चैटबॉट किसानों के प्रश्नों का चौबीसों घंटे उनकी मातृभाषा में त्वरित, सटीक और स्पष्ट उत्तर प्रदान करता है, जिससे यह प्रणाली अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बन जाती है। यह वेब, मोबाइल आदि सभी प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। किसान ई-मित्र चैटबॉट वर्तमान में 11 भाषाओं–अंग्रेज़ी, हिंदी, ओड़िया, तमिल, बंगाली, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु और मराठी में उपलब्ध है।

अनुबंध-**1**

महाराष्ट्र राज्य में कवर किए गए लाभार्थियों का किस्तवार डेटा और उन्हें जारी की गई निधि

किस्त	**लाभान्वित लाभार्थी**	**रुपये करोड़ में**
पहली किस्त	21,84,099	436.82
दूसरी किस्त	45,23,526	1,010.08
तीसरी किस्त	71,47,272	1,940.37
चौथी किस्त	86,34,898	1,948.55
पाँचवीं किस्त	96,97,604	2,189.07
छठी किस्त	1,05,21,072	2,282.52
सातवीं किस्त	1,03,93,400	2,201.31
आठवीं किस्त	92,38,857	1,928.16
नौवीं किस्त	1,02,52,879	2,316.49
दसवीं किस्त	1,04,45,465	2,187.88
ग्यारहवीं किस्त	1,01,26,242	2,059.92
बारहवीं किस्त	90,27,279	1,889.64
तेरहवीं किस्त	81,23,208	1,709.27
चौदहवीं किस्त	85,60,249	1,867.25
पंद्रहवीं किस्त	84,54,963	1,996.38
सोलहवीं किस्त	89,61,907	2,025.42
सत्रहवीं किस्त	91,43,117	1,940.12
अठारहवीं किस्त	91,43,729	1,888.58
उन्नीसवीं किस्त	93,28,286	2,013.51

अनुबंध-**2**

महाराष्ट्र राज्य में पीएम-किसान की **19**वीं किस्त के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों का जिला-वार डेटा

#	जिला	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)
1	अहिल्यानगर	5,52,246	117.27
2	अकोला	1,91,078	41.40
3	अमरावती	2,75,585	58.94
4	बीड	3,80,699	83.49
5	भंडारा	2,20,060	47.98
6	बुलढाणा	3,46,264	75.62
7	चंद्रपुर	2,51,215	53.81
8	छत्रपति संभाजीनगर	3,47,218	72.33
9	धाराशिव	2,37,736	51.62
10	धुले	1,57,944	35.65
11	गढ़चिरोली	1,53,237	32.83
12	गोंदिया	2,23,558	47.49
13	हिंगोली	1,77,389	36.87
14	जलगांव	4,09,517	90.44
15	जलना	3,01,835	65.33
16	कोल्हापुर	4,85,239	108.96
17	लातूर	2,73,037	57.67
18	नागपुर	1,81,602	40.99
19	नांदेड़	3,86,292	80.42
20	नंदुरबार	1,05,525	22.64
21	नासिक	4,42,606	94.02
22	पालघर	1,01,676	21.71
23	परभनी	2,52,285	53.38
24	पुणे	4,46,545	94.58
25	रायगढ़	1,18,110	26.29
26	रत्नागिरि	1,59,266	36.17
27	सांगली	4,00,374	84.20
28	सतारा	4,53,007	99.80
29	सिंधुदुर्ग	1,23,170	26.37
30	सोलापुर	5,05,172	110.22
31	ठाणे	74,051	16.28
32	वर्धा	1,31,372	27.96
33	वाशिम	1,68,110	37.49
34	यवतमाल	2,95,266	63.28
	कुल योग	**93,28,286**	**2,013.51**